न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 242/2021(2021/560)

1. सुनीता पत्नि श्री रोशनलाल जाति ब्राम्हण निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीया

वनाम

1. किरण पुत्री श्री सुरेश
2. चम्पा पुत्री श्री सुरेश
3. पवन कुमार पुत्र श्री सुरेश
4. भवानीशंकर पुत्र श्री चौथमल
5. मुन्नालाल पुत्र श्री चौथमल
6. मनभर देवी पत्नि श्री सुरेश
7. राधा पुत्री श्री सुरेश
8. लाडा देवी पुत्री श्री चौथमल
9. शोभा देवी पुत्री श्री चौथमल
10. सीता देवी पुत्री श्री चौथमल
    निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
11. नाबालिग दर्शन पुत्र रूकमणी देवी संरक्षक सरपररत
12. नाबालिग मोहित पुत्र रूकमणी देवी संरक्षक सरपररत
    निवासीगण शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री हेमन्त जैन — वकील प्रार्थी
श्री लेन्सी झंवर — वकील अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 21.12.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम बघेरा तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1869—1062	2319	0.55	चाही 1 जाव 1
	किता 1	रकबा 0.55 हैक्टर	

आराजी खसरा 2319 जो कि प्रार्थी की है में आने जाने हेतु रास्ता बघेरा टोडारायसिंह रोड से होता हुआ खसरा नंबर 2227, 2225, 2226 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 2234 व 2318 की उत्तरी मेड पर होता हुआ प्रार्थी के खेत में आता है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा कोई रिकॉर्डेड रास्ता नही है, ना ही रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से इसी रास्ते में से होकर अपने खेत में आते जाते है, रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

25 फीट चोडा है, किन्तु रास्ते की चौडाई ट्रेक्टर आने जाने हेतु कम से कम 30 फीट होना आवश्यक है इसके अभाव में हर वर्ष रूकावट पैदा होती है। तथा लडाई झगडे होते है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, अतः उक्त विद्यमान 30 फीट मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जाने का निवेदन किया गया है तथा इस हेतु प्रार्थीया नियमानुसार राशि जमा रवाने हेतु तैयार है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 4,5,9,10 की ओर से जवाब एवं तहसीलदार केकड़ी की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण 4,5,9,10 ने अपने जवाब जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन गलत व अस्वीकार है। पेरा संख्या 2 के खण्ड (iii) में वर्णित आराजी प्रार्थीया की अकेले की खातेदारी की नही है, उक्त आराजी में इन्द्रा देवी पत्नि प्रेम प्रकाश जाति ब्राहम्ण सह खातेदार है। प्रार्थीया ने वर्णित आराजी स्वयं की बताकर न्यायालय में गलत कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2319 में काश्त करते हेतु आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 2226, 2234, 2316, 2225 में से कभी भी नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता नजदीकी रास्ता है। प्रार्थीया पूर्व में अन्य रास्ते का अपने खेत में आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने केवल अप्रार्थीगण की आराजीयात में से होकर अवैध व गैर कानूनी तरीके से वास्तविक स्थिती को छिपाते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीया द्वारा खातेदारी भूमि ग्राम बघेरा के खसरा नंबर 2319 पर आने जाने रास्ता चाहा गया है।
2. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 2327 रकबा 1.54 हैक्टर गै.मु. सडक बघेरा से टोडारायसिंह ग्रामीण मार्ग निकलता है।
3. वर्तमान में प्रार्थी खातेदार भूमि पर खसरा नंबर 2327 गै.मु. सड़क बघेरा से टोडारायसिंह ग्रामीण मार्ग से खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड़, खसरा नम्बर 2226 की दक्षिणी मेड़, खसरा नम्बर 2225 की पूर्वी मेड, खसरा नम्बर 2234 की उत्तरी मेड, खसरा नम्बर 2318 की उत्तरी मेड से होतु हुए रास्ता चाहा गया है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार उक्त वांछित रास्ता दिया जा सकता है जिसकी कुल लंबाई 1062 मीटर है।
4. प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 2319 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2327 गै.मु.सडक बघेरा से टोडारायसिंह ग्रामीण मार्ग से खसरा नम्बर 2228 की पूर्वी मेड व खसरा नम्बर 2229 की पश्चिमी व दक्षिणी मेड व खसरा नम्बर 2233 की उत्तरी मेड से पंहूच मार्ग नजदीक रहेगा जिसकी दूरी 864 वर्गमीटर होगी।
5. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल लंबाई 1062 मीटर है जबकि नजदीक वैकल्पिक रास्ते की कुल लम्बाई 864 मीटर है।
6. निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 2228 की पूर्वी मेड पर 270 मीटर, खसरा नम्बर 2229 की पश्चिमी मेड पर 270 मीटर, खसरा नम्बर 2233 की उत्तरी पूर्वी मेड पर 324 मीटर कुल 864 मीटर हेतु डी. एल.सी. दर 450846/– प्रति हैक्टर से 77899/– रूपये बनते है।
7. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड 252 मीटर, खसरा नम्बर 2226 में 81 मीटर, खसरा नम्बर 2225 में 468 मीटर, खसरा नम्बर 2234 144+81 कुल 225 मीटर, खसरा नम्बर 2318 में 36 मीटर कुल 1062 मीटर हेतु डी.एल.सी. दर 450846/– प्रति हैक्टर से 95749/– रूपये बनते है।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित अन्य निकटतम रास्ते के संबंध में व्यक्त किया कि उक्त रास्ता पहले नही था, वहां दीवार बनी हुई है, खेत में बंबूल उगे हुए हैं। अतः प्रार्थी पूर्व में जिस रास्ते से आ जा रहा है जो कि प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा चाहा गया है एवं मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम बघेरा के खसरा नंबर 2319 पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 2227, 2225, 2226 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 2234 व 2318 की उत्तरी मेड पर होता हुआ रास्ता की मांग की गयी। जो मौके पर खसरा नंबर 2327 गै.मु. सड़क बघेरा से टोडारायसिंह ग्रामीण मार्ग से खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड़, खसरा नम्बर 2226 की दक्षिणी मेड़, खसरा नम्बर 2225 की पूर्वी मेड, खसरा नम्बर 2234 की उत्तरी मेड, खसरा नम्बर 2318 की उत्तरी मेड से होतु हुए खसरा नंबर 2319 पर आ जा रहे है जिसमे खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड 252 मीटर, खसरा नम्बर 2226 में 81 मीटर, खसरा नम्बर 2225 में 468 मीटर, खसरा नम्बर 2234 में 144+81 = 225 मीटर, खसरा नम्बर 2318 में 36 मीटर कुल 1062 मीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 95749/–(पिच्चानवें हजार सात सो उन्चास) रूपये बनते है उक्त प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन हैं निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम बघेरा खसरा नंबर 2319 रकबा 0.55 हैक्टर में आने जाने के लिए आराजी खसरा नंबर 2227, 2225, 2226 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 2234 व 2318 की उत्तरी मेड पर होता हुआ रास्ता की मांग की गयी। जो मौके पर खसरा नंबर 2327 गै.मु. सड़क बघेरा से टोडारायसिंह ग्रामीण मार्ग से खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड़, खसरा नम्बर 2226 की दक्षिणी मेड़, खसरा नम्बर 2225 की पूर्वी मेड, खसरा नम्बर 2234 की उत्तरी मेड, खसरा नम्बर 2318 की उत्तरी मेड से होतु हुए खसरा नंबर 2319 पर आ जा रहे है जिसमे खसरा नम्बर 2227 की पूर्वी मेड 252 मीटर, खसरा नम्बर 2226 में 81 मीटर, खसरा नम्बर 2225 में 468 मीटर, खसरा नम्बर 2234 में 144+81 = 225 मीटर, खसरा नम्बर 2318 में 36 मीटर कुल 1062 मीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 95749/–(पिच्चानवें हजार सात सो उन्चास) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम बघेरा के खसरा संख्या 2319 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)